सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग-4 खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

उत्तर प्रदेश शासन

होमगार्ड अनुभाग

संख्या: 1174/छः नासु-2013-120होगा-84
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 4 जुलाई, 2013
अषाढ 13, 1935 शक संवत

<u>विज्ञप्ति</u>

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश में होम गार्ड्स स्वयंसेवकों के कल्याण के लिये स्थापित कल्याण कोष की धनराशि से प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग होमगार्डस स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली, 2013 को एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। उक्त नियमावली के लागू होने से उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स कल्याण कोष नियमावली, 1995 स्वतः समाप्त हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष नियमावली, 2013

शीर्षक परिभाषाएं 1- यह कोष ''उत्तर प्रदेश राज्य होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष'' के नाम से जाना जायेगा।

2- इन नियमों के लिये जब तक कि अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो-

(क) ''कोष'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष से होगा।

(ख) ''लाभार्थी'' का तात्पर्य संगठन के ऐसे सक्रिय होम गार्ड्स स्वयंसेवी सदस्य से होगा, जो इस कोष से सहायता पाने के अधिकारी हैं, इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

1- ''आश्रित'' जिसका तात्पर्य वही है जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है।

2- होम गार्ड्स संगठन का ऐसा सक्रिय होम गार्ड्स स्वयंसेवक, जो ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

3- ''होम गार्ड्स स्वयंसेवक'' का तात्पर्य उस रूप में उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स संगठन में भर्ती किया गया होम गार्ड्स एवं अवैतनिक अधिकारी से है।

(ग) ''आश्रित'' जिसका तात्पर्य होम गार्ड्स संगठन के ऐसे सक्रिय अवैतनिक सदस्य की पत्नी/पति तथा 21 वर्ष तक आयु के ऐसे पुत्र/पुत्री और अविवाहित पुत्रियां तथा पूर्णतया आश्रित माता-पिता, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, जिनका अपना आय का कोई अन्य साधन न हो।

(घ) ''ड्यूटी'' का तात्पर्य होम गार्ड्स संगठन के ऐसे सक्रिय अवैतनिक सदस्य की ड्यूटी से होगा, जो शासन, होम गार्ड्स मुख्यालय अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशों द्वारा ड्यूटी (प्रशिक्षण और परेड सहित) पर बुलाया गया हो।

(च) ''दैवीय आपदा'' से तात्पर्य बाढ़, सूखा, आग तथा भूकम्प से हुई क्षति से होगा।

कोष का स्त्रोत

3- कोष में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) होम गार्ड्स संगठन के सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया दान।

(ख) केन्द्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्वेच्छा से प्राप्त धन।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

(घ) प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित दर पर सदस्यों द्वारा कोष में स्वेच्छा से दिया गया अभिदान।

कोष का उद्देश्य

4- होम गार्ड्स स्वयंसेवक कल्याण कोष के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) कोष से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना :-

1- साम्प्रदायिक दंगों/आतंकवाद निरोधी कार्यवाही में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में, जो बीमा से आच्छादित न हो रू0-5,00,000/- (रूपया पांच लाख)।

2- विशेष जोखिम वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में, जो दुर्घटना बीमा से आच्छादित न हो, रू0-3,00,000/- (रूपया तीन लाख)। इसके अंतर्गत चुनाव, कानून व्यवस्था तथा दैवीय आपदा सम्बन्धित ड्यूटी सम्मिलित होगी।

3- परेड, प्रशिक्षण (जो बीमा से आच्छादित न हो) तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाली ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में रू0-2,00,000/- (रूपया दो लाख)।

4- उपरोक्त विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अपंगता (दो अंगों अथवा दोनों आंखें अथवा एक अंग एवं एक आंख की पूर्ण रूप से हानि पर) उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्ण रूप से स्थायी अपंगता पर (उदाहरण के रूप में पक्षाघात) की दशा में उक्त श्रेणियों के लिये अनुमन्य अनुग्रह धनराशि का आधा तथा गम्भीर रूप से घायल होने की दशा में अनुमन्य धनराशि का चैथायी अनुग्रह धनराशि सहायता के रूप में देय होगी।

5- होम गार्ड्स संगठन के सक्रिय सदस्यों की उपरोक्त बिन्दु-4 (क) के बिन्दु 1, 2 व 3 में वर्णित दशा में मृत्यु पर दाह-संस्कार हेतु रू0-3,000/- (रूपया तीन हजार) की राशि अनुमन्य होगी।

(ख) आपदा हेतु :- होमगार्ड्स अवैतनिक सदस्यों की ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान किसी प्रकार की विपत्ति (आपदा) की दशा में एक बार की एक मुश्त सहायता, जो अधिकतम रू0- 5,000/- (रूपया पॉच हजार) देय होगी।

(ख-1) ड्यूटी/प्रशिक्षण के दौरान बीमार होने की स्थिति में होम गार्ड्स स्वयंसेवक को कल्याण कोष से आर्थिक सहायता की अधिकतम राशि रू0-10,000/- (रूपया दस हजार) अनुमन्य होगी।

(ग) छात्रवृत्तियां :- होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक सक्रिय सदस्यों के अध्ययनरत प्रतिभाशाली पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी, परन्तु यदि छात्र को किसी अन्य स्त्रोत से वित्तीय सहायता मिलती है तो उस दशा में उस सीमा तक छात्रवृत्ति की धनराशि कम हो जायेगी।

(ग-1) हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से योग्यता के आधार पर 50 छात्रों का चयन कर रू0-500/- (रूपया पॉच सौ) प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ग-2) ऐसे छात्र जो इण्टरमीडियट परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर स्नातक कक्षा में अध्ययन करेंगे, उनमें से 50 छात्र योग्यता के आधार पर चयनित किये जायेंगे, जिन्हें रू0-1000/- (रूपया एक हजार) प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से वर्ष में एक बार (एकमुश्त) स्नातक कक्षाओं हेतु जो अवधि निर्धारित हो, के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी।

(ग-3) ऐसे छात्र, जो एम0बी0बी0एस0 या इंजीनियरिंग कालेज, जिसमें डिप्लोमा कोर्स भी सम्मिलित होगा अथवा अन्य समकक्ष तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे, को रू0-2000/- (रूपया दो हजार) प्रतिमाह की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त छात्रवृत्ति देना। छात्रवृत्ति आगे तभी दी जायेगी जब छात्र प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण रहे अन्यथा अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जायेगी। आकस्मिक स्थितियों को छोड़कर सामान्य स्थिति में कल्याण कोष से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता होम गार्ड्स दिवस के अवसर पर प्रदान की जायेगी।

(घ) निरस्त

(घ-1) खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक तथा मनोरंजन कार्यक्रम, जिसमें होम गार्ड्स मुख्यालय/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी जिला इकाइयों में सूचना/मनोरंजन कक्षों/पुस्तकालय की स्थापना/सुसज्जित करने हेतु धनराशि रू0-3000/- (रूपया तीन हजार)

(घ-1-क) 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर पर (तीनों आयोजनों हेतु) होम गार्ड्स मुख्यालय के लिये एकमुश्त रू0-10,000/-(रूपया दस हजार)

(घ-1-ख) अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम के सभी सदस्यों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन दिये जाने पर अधिकतम् राशि रू0-10,000/- (रूपया दस हजार) की वित्तीय सहायता।

(घ-1-ग) विजयी टीम के उत्साहवर्धन हेतु रू0-20,000/- (रूपया बीस हजार) की अधिकतम् वित्तीय सहायता।

(घ-2) होम गार्ड्स दिवस वार्षिक समारोह एवं सेरीमोनियल परेड के अवसर पर सम्मिलित सभी सदस्यों को अभ्यास के दौरान विशेष भोजन हेतु अधिकतम

रू0-10,000/- (रूपया दस हजार) वित्तीय सहायता तथा परेड में सम्मिलित होम गार्ड्स विभाग के सभी प्रतिभागियों के बडे-खाने के समय विशेष भोजन पर अधिकतम रू0-30,000/- (रूपया तीस हजार) की सहायता।

(घ-3) गणतंत्र दिवस के अवसर पर होम गार्ड्स मुख्यालय पर आयोजित अभ्यास परेड के दौरान सम्मिलित अवैतनिक जवानों के उत्साहवर्धन हेतु विशेष भोजन हेतु अधिकतम रू0-5,000/- (रूपया पॉच हजार) की वित्तीय सहायता।

कोष की व्यवस्था 5-(क) कोष की व्यवस्था, प्रबन्ध समिति द्वारा की जायेगी। प्रबन्ध समिति का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा:-

1- कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्ड्स ..... अध्यक्ष

2- प्रमुख सचिव, होम गार्ड्स द्वारा नामित सदस्य ..... सदस्य

3- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल ..... सदस्य

4- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, होम गार्ड्स ..... सदस्य

5- वित्त नियंत्रक, होम गार्ड्स मुख्यालय ..... सदस्य एवं कोषाध्यक्ष।

6- कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्ड्स द्वारा नामित
एक अधिकारी जो कल्याण कोष का काम
देख रहा हो..... सदस्य

प्रबन्ध समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त 02 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वर्ष में कम से कम दो बार प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की जायेगी।

(ख) प्रबन्ध समिति कोष की धनराशि के निवेश, आर्थिक सहायता की मात्रा तथा अन्य मामले जहॉ नियम नहीं बने हैं, का निर्धारण करेगी। ''साथ ही नियमावली के किसी प्राविधान के होते हुये भी, राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस कोष से नियमावली में निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु निर्धारित सीमा से दो गुनी धनराशि की सीमा तक सहायता स्वीकृत कर सकेगी।'' कोष की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधिक योजना, उत्तर प्रदेश शासन के उपक्रमों, सरकारी प्रतिभूतियों तथा डाकघर योजनाओं की, जो डाकघर की सबसे लाभकारी योजना हो, में निवेश की जायेगी तथा उक्त निवेश से होने वाली आय से व्यय किया जायेगा तथा मूलधन की धनराशि को यथावत् रखा जायेगा और उससे कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

कार्य निस्तारण 6-(क) प्रबन्ध समिति आवश्यक मामलों में निस्तारण हेतु जब भी आवश्यकता हो, बैठक कर सकती है।

(ख) प्रबन्ध समिति की बैठक का कोरम-अध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त 02 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ग) दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित एवं अन्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त मामलों में कोष से आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों को देय धनराशि

7- प्रबन्ध समिति के सदस्य समिति के अधिकारी होने के नाते किसी पारिश्रमिक पर पुरूस्कार के रूप में किसी धनराशि को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

कर्मचारियों का प्राविधान

8- प्रबन्ध समिति के लिपिकीय कार्यों हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था कमाण्डेण्ट जनरल, होम गार्ड्स द्वारा की जायेगी।

लेखा एवं लेखा परीक्षण

9- कोष की सभी धनराशि का नियमित लेखा रखा जायेगा, जिसका लेखा परीक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। स्थानीय निधि लेखा परीक्षक यह प्रमाण-पत्र देगा कि कोष निधि से व्यय कोष के उद्देश्यों के अनुसार सही ढंग से किया गया है।

समय-समय पर भेजी जाने वाली रिपोर्ट्स

10- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 06 माह के अन्दर राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट दी जायेगी, जिसमें निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं और प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा किया हुआ लेखों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त नियमावली के लागू होने से उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स कल्याण निधि नियमावली, 1995 स्वतः समाप्त हो जायेगी।

आज्ञा से,
विनय प्रिय दुबे,
सचिव